



Case No. 23/2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं. NCST/SER-1477/MTAF/2/2024-SSW

श्री शक्ति सिंह चौहान  
सहायक आयुक्त,  
जनजातीय कार्य विभाग,  
जिला - बड़वानी (मध्य प्रदेश)  
Email Id: actw.bdw@mp.gov.in  
Tel. No: 7290222891

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री निरूपम चाकमा के समक्ष दिनांक 04.11.2024 को 12:00 बजे, आयोग मुख्यालय न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:- जनजातीय कार्य विभाग, जिला - बड़वानी प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारीयों की जातिगत आधार पर सेवा समाप्त करने के संबंध में :- श्रीमती मधुबाला सेनानी, श्रीमती इमला रावत, श्रीमती भुरबाई डार का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ :- NCST के समसंख्यक नोटिस दिनांक 02.09.2024 एवं सिटिंग नोटिस दिनांक 05.09.2024

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 17.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर  
न्यायालय अधिकारी

Court Officer  
National Commission for Scheduled Tribes  
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

